न्यायालय सहायक कलक्टर, भदेसर जिला–चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – सुश्री अंजू शर्मा, आर.ए.एस.

——

प्रकरण संख्या
155/2021

अनवान

1. ओमप्रकाश पिता केशुराम मीणा उम्र वयस्क निवासी देवलखेडी तहसील भदेसर
2. किशनलाल पिता केशुराम मीणा उम्र वयस्क निवासी देवलखेडी तहसील भदेसर
3. गणपत पिता सवराम मीणा उम्र वयस्क निवासी देवलखेडी तहसील भदेसर
4. देवीशंकर पिता सवराम मीणा उम्र वयस्क निवासी देवलखेडी तहसील भदेसर
5. दिलीप पिता सवराम मीणा उम्र वयस्क निवासी देवलखेडी तहसील भदेसर
6. शांति बाई पत्नि सवराम मीणा उम्र वयस्क निवासी देवलखेडी तहसील भदेसर

..........वादीगण

।। बनाम ।।

1. बंशीलाल पिता रामप्रसाद मीणा उम्र वयस्क निवासी देवलखेडी तहसील भदेसर
2. सरकार जरिये तहसीलदार भदेसर।

............प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री फारूख मोहम्मद, वकील वादी

वादपत्र वादी अंतर्गत आदेश 7 नियम 1, 2 जा0दि0 निम्न प्रकार पेश है कि ग्राम देवलखेडी पटवार हलका नन्नाणा की खाता सं. 10 पर दर्ज आ0नं0 127 रकबा 0.24 हैक्टेयर कृषि भूमि वादीगण के पिता एवं दादा व प्रतिवादी सं. 01 की संयुक्त खातेदारी कब्जे काश्त की स्थित है। साक्ष्य में नकल जमाबंदी संवत 2076 संलग्न वाद पत्र है। वाद पत्र में वर्णित कृषि आराजीयात में वादी के पिता एवं दादा का 1/2 हक हिस्सा निहित होकर वादीगण अपने पिता व दादा के 1/2 हक हिस्से वाली भूमि पर संयुक्त रूप से अपने पिता एवं दादा के जीवनकाल से ही काबिज होकर काश्त कर रहे है परंतु वादीगण के पिता एवं दादा का स्वर्गवास होने के बाद केशुराम के वारीसान वादीगण काा नाम राजस्व रेकार्ड में अंकति नही हो पाया है और वर्तमान में आराजीयात केशुराम के नाम पर ही दर्ज चली आ रही है। उक्त आराजीयात में विरासत का इंतकाल वादीगण के नाम राजस्व रेकार्ड में अंकन नहीं होने से नाजायज फायदा उठा कर प्रतिवादी सं. 01 वादीगण के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में आये दिन दखलंदाजी करता रहता है जिससे वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य आराजीयात का बंटवाडा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स पद्धति से किया जाना आवश्यक होने से वाद पत्र बाबत बंटवाडा आराजीयात पेश है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.02.28 14:03:33 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी सं. 01 आये दिन रकबा कम ज्यादा को लेकर विवाद किये जाने पर वादीगण ने कई मर्तबा प्रतिवादीगण से आपसी सहमति से बंटवाडा कराये जाने हेतु कहने पर प्रतिवादी सं. 01 ने इंकार कर दिया और अब अपने 1/2 हक हिस्से से भी अधिक भूमि पर निर्माण सामग्री डलवा कर निर्माण कराने पर आमादा हो रहा है एवं वादीगण द्वारा बंटवाडा कराने उपरांत ही निर्माण कराने की कहने पर प्रतिवादी सं 01 लडाई झगडा करने पर आमादा हो रहा है जिससे भी उक्त आराजीयात का

Scanned with CamScanner

वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य 1/2–1/2 हक हिस्से अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स पद्धति से बंटवाडा किया जाना आवश्यक हो जाने से यह वाद पत्र बाबत बंटवाडा आराजीयात पेश है।

वाद पत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित आराजीयात वादीगण के पिता एवं दादा केशुराम एवं प्रतिवादी सं. 01 के संयुक्त खातेदारी में दर्ज है और केशुराम की मृत्यु के उपरांत वादीगण का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं होने का नाजायज फायदा उठाकर प्रतिवादी सं. 01 अपने 1/2 हक हिस्से वाली भूमि से भी अधिक भूमि पर कब्जा कर निर्माण कराने पर आमादा हो रहा है तथा वादीगण का नाम रेकार्ड में नहीं होने से उन्हे बेदखल कर कब्जा छिनने की धमकिया दे रहा है तथा इसी नियत से वह आये दिन वादीगण के पिता व दादा के 1/2 हक हिस्से वाली भूमि के उपयोग उपभोग व कब्जे काश्त में दखलंदाजी करता रहता है जिससे प्रतिवादी सं. 01 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वह जब तक आराजीयात का विधिवत बंटवाडा नहीं हो जावे तब तक वह आराजीयात के किसी भाग पर निर्माण कार्य आदि न तो स्वयं करे ना नौकर,कारीगर,एजेंट आदि से करावे एवं वादीगण के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखलंदाजी न तो स्वयं करे ना किसी अन्य से करावे। एवं वादीगण के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखलंदाजी न तो स्वयं करे ना किसी अन्य से करावे।

वादी अपने हिस्से की भूमि पर बाड लगाकर आराजीयात को उन्नत करना चाहता है परंतु खाता शामलाती होने एवं विधिवत बंटवाडा नहीं होने से ऐसा नहीं कर पा रहा है। अतः वाद पत्र बाबत घोषणा एवं बंटवाडा पेश है।

अतः प्रार्थना है कि वाद पत्र वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार फरमाया वाद पत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित कृषि आराजीयात में वादीगण का संयुक्त 1/2 हक हिस्सा एवं प्रतिवादी सं. 01 का 1/2 हक हिस्से अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स पद्धति से बंटवाडा कराया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 01 का खाता अलग–अलग किये जाने की डिक्री पारित फरमाई जावें। एवं प्रतिवादी सं. 01 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वादीगण के पिता एवं दादा केशुराम के 1/2 हक हिस्से वाली भूमि जिस पर वादीगण संयुक्त रूप से काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे है उसमें प्रतिवादी सं. 01 किसी प्रकार की दखलंदाजी न त स्वयं करे ना किसी अन्य से करावे एवं आराजीयात का जब तक विधिवत बंटवाडा नहीं हो जावे तब तक प्रतिवादी सं. 01 उक्त आराजीयात के किसी भाग पर निर्माण कार्य आदि न तो स्वयं करे ना नौकर,कारीगर,एजेंट आदि से करावे एवं वादीगण के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखलंदाजी न तो स्वयं करे ना किसी अन्य से करावे।

इस पर वादी के वाद को दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील वादीगण द्वारा दिनांक 23.09.2021 को वाद पर जल्द सुनवाई का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया की प्रतिवादी सं. 01 भी बंटवाडे हेतु राजी होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे। जल्द सुनवाई का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया गया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से बखूबी साबित क[illegible] प्रश्नगत खाता सं. 10 पर दर्ज [illegible] हिस्से का खातेदार काश्तकार आ0नं0 127 रकबा 0.24 हैक्टेयर में वादीगण का संयुक्त [illegible] प्रतिवादीगण के मध्य मौके पर घोषित किया जाना एवं बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स पद्धति से वादी[illegible] प्रतिवादी सं. 01 का राजीनामे अनुसार कब्जे अनुसार बंटवाडा किये उचित मानते है। अतः वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 01 का राजस्व रेकार्ड में हक हिस्से एवं मौके पर कब्जे को ध्यान में रखते हुए बंटवाडा किया जाना उचित मानते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.02.28 14:13:33 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

उपरोक्त विवेचन,प्रस्तुत दस्तावेजों के आलोक एवं राजीनामा अनुसार वाद वादीगण प्राथमिक डिक्री किया जाता है कि मौजा ग्राम देवलखेडी पटवार हलका नन्नाणा की खाता सं. 10 पर दर्ज आ0नं0 127 रकबा 0.24 हैक्टेयर में वादीगण को संयुक्त रूप से 1/2 हक हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स पद्धति से वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य मौके पर कब्जे अनुसार बंटवाडा किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार भदेसर को 1000/= अक्षरे एक हजार रूपये फीस पर कमीश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार विभाजन प्रस्ताव लगान फाटनी कर, मय नक्शा ट्रेस उभय पक्ष की मौजूदगी में तैयार कराया जाकर एक माह में प्रस्तुत करें। विभाजन में संबंधित काश्तकार को अपनी जोत पर पहुंच मार्ग की व्यवस्था सुरक्षित की जावे। इसी आशय का पर्चा डिक्री एवं हुक्मनामा अलग से जारी हो।

निर्णय खुले न्यायालय टंकित कराया जाकर सुनाया गया।

(अंजू शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
भदेसर

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.02.28 14:13:33 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner